भाग – II

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

1– परियोजना/स्कीम का स्थान	–	जनपद नैनीताल एवं उधमसिंह नगर, तराई पूर्वी वन प्रभाग, नन्धौर/कैलाश नदी, रन्साली रेन्ज के अर्न्तगत
2– राज्य/संघ शासित क्षेत्र	–	उत्तराखण्ड
3– जिला	–	नैनीताल एवं उधमसिंह नगर
4– वन प्रभाग	–	तराई पूर्वी वन प्रभाग
5– वन्नेतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	–	468 हैक्टेयर
6– वन की कानूनी स्थिति	–	आरक्षित वन
7– हरियाली का घनत्व	–	0 से 0.10
8– प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधिक श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) । सिचांई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0, एफ0आर0एल0–2 एफ0आर0एल0–8 मी0 पर परिगणना भी संलग्न किये जायें	–	प्रस्तावित वास्तविक खनन क्षेत्र वृक्षविहीन है
9– भूक्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता	–	वर्षाकाल में नदी तल में उपखनिज की अधिक मात्रा में एकत्र होने से नदी के बीच का भाग ऊँचा होने के कारण समीपवर्ती क्षेत्र में भू–कटाव की रोकथाम के लिये नदी से उपखनिज का चुगान किया जाना उचित होगा ।
10– वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की सीमा से अनुमानित दूरी	–	नदी तट से
11– क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी कारीडोर, आदि का भाग है (यदि हॉ) क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियॉ अनुबन्धित की जायें ।	–	नही
12– क्या वन क्षेत्र में वनस्पति और प्राणीजत की दुलर्भ/संकाटापन्न/ विशिष्ट प्रजातियॉ पाई जाती है । यदि हॉ, तो तत्यम्बन्धी ब्यौरा दें ।	–	नही
13– क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/	–	नही

पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है । यदि हॉ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो दें ।

14– प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग–1 काल 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है । यदि नही, तो जॉचे गये विकल्पों के ब्यौरे के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है । – अपरिहार्य एवं न्यूनतम है ।

15– क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया (हॉ/नही) यदि हॉ जो कार्य की अवधी दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धित कार्य अभी भी चल रहा है । – नही

16– प्रतिपूरक वनीकरण का ब्यौरा :–

(क) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वन्नेतर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र आस–पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भूखण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्ड का आकार । – लागू नहीं है । मात्र नवीनीकरण होना है ।

(ख) क्षतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वन्नेतर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र आस–पास के वन सीमाओं को दर्शाता मैप । – लागू नहीं है ।

(ग) रोपित की जाने वाले प्रजातियों सहित क्षतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी, समय अनुसूचित लागत ढांचा आदि । – लागू नहीं है ।

(घ) क्षतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय । – लागू नहीं है ।

(ड़) क्षतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण–पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाये) – लागू नहीं है ।

17– जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त – संलग्न है ।

कालम 7 (XI XII) 8 और 9 में
पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये
(संलग्न करें)

18— प्रभाग / जिला प्रोफाइल

I	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	—	नैनीताल 3422.00 वर्ग किमी0 उधमसिंह नगर 3387.00 वर्ग किमी0
II	जिले का वन क्षेत्र	—	नैनीताल 3096.72 वर्ग किमी0 उधमसिंह नगर 1011.00 वर्ग किमी0
III	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र ।	—	45 मामले - 473.541 हैक्टेयर
IV	1980 से जिला / प्रभाग में निर्धारित कुल क्षतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	—	66.823 हैक्टेयर
	(क) दण्ड के रुप में क्षतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	—	57.682 हैक्टेयर
	(ख) वनेत्तर भूमि पर	—	रिक्त
V	वर्तमान तक क्षतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति		
	(क) वन भूमि पर	—	57.682 हैक्टेयर
	(ख) वनेत्तर भूमि पर	—	— हैक्टेयर

19— प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश प्रस्ताव को अन्यथा—प्रस्ताव स्वीकृत हेतु प्रेषित अस्वीकृत लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश — प्रस्ताव स्वीकृत हेतु प्रेषित ।

दिनांक : .....

स्थान : .....

हस्ताक्षर

प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग

हस्ताक्षर

वन क्षेत्राधिकारी
रन्साली रेन्ज
तराई पूर्वी वन प्रभाग